# राजस्थान सरकार
## उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

ई–मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, दूरभाष : 0141–5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 6(28)शिक्षा/ग्रुप–3/2024–04249 जयपुर, दिनांकः–हस्ताक्षर दिनांक

**–: आदेश :–**

परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024–25 दिनांक 10.07.2024 के बिन्दु संख्या–59.03.00 की अनुपालना में चुरू, कुम्हेर–डीग एवं जमवारामगढ–जयपुर में नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय प्रारम्भ किये जाने की निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन सैद्धांतिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. पूर्व में नवीन कृषि महाविद्यालय हेतु प्रदत्त स्वीकृति को ध्यान में रखते हुये निम्नानुसार कुल 87 नवीन पद एवं 03 मशीन विद मैन की सेवाओं के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

| महाविद्यालय का नाम | पदनाम | प्रति महाविद्यालय स्वीकृत पदों की संख्या | कुल स्वीकृत पदों की संख्या | बजट मद |
|---|---|---|---|---|
| 1–राजकीय कृषि महाविद्यालय, चुरू<br>2–राजकीय कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर–डीग<br>3– राजकीय कृषि महाविद्यालय, जमवारामगढ़–जयपुर | अधिष्ठाता/प्राचार्य | 01 | 03 | बजट मद–<br>2202– सामान्य शिक्षा<br>03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा<br>103–राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान<br>02–राजकीय महाविद्यालय (पुरूषों के लिए) राज्य निधि |
| | सह–आचार्य | 02 | 06 | |
| | सहायक आचार्य | 10 | 30 | |
| | सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष | 01 | 03 | |
| | निजी सहायक | 01 | 03 | |
| | सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय | 01 | 03 | |
| | प्रशासनिक अधिकारी | 01 | 03 | |
| | वरिष्ठ सहायक | 01 | 03 | |
| | कनिष्ठ सहायक | 01 | 03 | |
| | फार्म मैनेजर | 01 | 03 | |
| | प्रयोगशाला सहायक | 03 | 09 | |
| | कृषि पर्यवेक्षक | 01 | 03 | |
| | वाहन चालक * | 01 | 03 | |
| | मशीन विद मैन ** | (01) | (03) | |
| | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 04 | 12 | |
| | **कुल योग** | **29+(01)** | **87+(03)** | |

*वाहन चालक (ट्रेक्टर चालक) के पद पर सेवानिवृत कार्मिक/रेक्सकों के माध्यम से सेवाएँ प्राप्त की जा सकेगी।

**मशीन विद् मैन (03) की सेवाएँ वित्त विभाग के समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार प्राप्त की जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.09.25 15:39:04 IST
Reason: Approved



RajKaj Ref No.: 10729646

2. उक्त पद वित्त विभाग की आई.डी. सं. 102101918 दिनांक 21.05.2021 में प्रदान किये गये परामर्श अनुसार गठित सोसाइटी के अधीन रहेंगें।
3. सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबंल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर नियमित/सोसाइटी के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध नहीं होने तक इन पदो पर रेक्सकों से/सेवानिवृत्त कार्मिक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. वेतनादि एवं महाविद्यालय के संचालन हेतु प्रस्तावित आवर्तक/अनावर्तक व्यय राशि के अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथासमय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
5. महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए प्रति महाविद्यालय राशि रूपये 08.80 करोड़ के व्यय की सहमति प्रदान की जाती है। आयुक्तालय भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथासमय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
6. जब तक महाविद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक वैकल्पिक रूप से महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आयुक्तालय के स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जावें। आवश्यक होने पर किराये के भवन में भी महाविद्यालय प्रारम्भ किया जा सकेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 152401986 दिनांक 23.09.2024 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हरिताभ कुमार आदित्य)
शासन उप सचिव प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव/उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
शासन उप सचिव प्रथम
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.09.25 15:39:04 IST
Reason: Approved



RajKaj Ref No.: 10729646

## राजस्थान सरकार

# आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http//the.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone: 0141-2706847


क्रमांकः एफ 20(101)आयो/आकाशि/24-25/कृषि/00054

विषयः- दिनांक 10 जुलाई, 2024 को परिवर्तित बजट 2024-25 बजट भाषण के बिन्दु संख्या 59.03 की अनुपालना में चूरू, कुम्हेर-डीग एवं जमवारामगढ़-जयपुर में राजकीय कृषि महाविद्यालय खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पृष्टांकन बाबत।

संदर्भः- शासन उप सचिव-प्रथम का राजकाज संदर्भ संख्या 10729646 दिनांक 25.09.2024

**प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ:**

1 संयुक्त सचिव, कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।

2. विशिष्ठ सहायक, कार्यालय, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

3. निजी सचिव, कार्यालय, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

5. सयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

6. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।

7. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

**प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतुः-**

1 कुल सचिव, संबंधित कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने का श्रम करें।

2 जेट कॉडिनेटर, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को भेजकर लेख है कि उक्त नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालयों की प्रवेश संबंधी कार्यवाही करने का श्रम करावें।

3 संयुक्त निदेशक, अकादमिक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है स्वीकृतिनुसार नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालयों में प्रवेश संबंधी कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।

4 संयुक्त निदेशक, एचआरडी एवं प्रशासन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृति आदेश की बिन्दु संख्या 03 के अनुसार आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

5 संयुक्त निदेशक, राजसेस, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालयों के संबंध में आयोजना शाखा द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त कर नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालयों के अस्थाई भवन, भूमि, विश्वविद्यालय से सम्बद्धता आदि के संबंध में उक्त महाविद्यालयों हेतु नियुक्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

6 नोडल प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार स्नातक स्तर पर खोले गये नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालयों के संबंध में संयुक्त निदेशक, राजसेस आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा से समन्वय स्थापित कर अस्थाई भवन, भूमि, विश्वविद्यालय से सम्बद्धता, प्रवेश व अन्य आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

7 वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने बाबत।

8 रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विजेन्द्र कुमार शर्मा)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Vijendra Kumar Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2024.09.25 18:07:30 IST
Reason: Approved